RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-04
April-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

भारत की सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिए चुनौतियाँ

[1]Dr. D.K. Pandey & [2]Sh. Sohan Singh

[1]HOD, Dept. of Defence & Strategic Studies, H.N.B. Garhwal University, (A Central University), Srinagar-Garhwal (Uttarakhand)
[2]Research Scholar, Dept. of Defence & Strategic Studies, H.N.B. Garhwal University, (A Central University), Srinagar-Garhwal (Uttarakhand)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 15 April 2019

Keywords
सुरक्षा परिषद, स्थाई सदस्यता, भारत, संयुक्त राष्ट्र, चुनौती, सुरक्षा, शान्ति, अभियान आदि।

ABSTRACT

सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यकारी अंग है। इसका प्रमख कार्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखना है। जब भी किसी संघर्ष से विश्व शान्ति के लिए खतरा पैदा होता है तब सुरक्षा परिषद इसके लिए हर संभव कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। सुरक्षा परिषद की प्रथम बैठक 17 जनवरी, 1946 को लंदन के वेस्टमिन्स्टर में आयोजित की गई। इसके 05 स्थाई और 10 अस्थाई सदस्य हैं। विश्व में निरन्तर संघर्षों की प्रकृति में बदलाव होने से सुरक्षा परिषद का वर्तमान ढ़ाँचा इन नई उभरती हुई समस्याओं का समाधान करने में असफल है। इसलिए इसे और अधिक प्रजातान्त्रिक बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे यह अपनी विश्वसनीयता को बनाये रख सके। प्रस्तुत शोध पत्र में सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता, इसकी सदस्यता के लिए भारत के दावें और स्थाई सदस्यता के मार्ग में आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

भूमिका

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र संघ का प्राथमिक उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र के इस कार्य का निर्वाह सुरक्षा परिषद् के द्वारा किया जाता है। सुरक्षा परिषद् यह कार्य संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रदत्त प्रावधानों के अन्तर्गत करती है, जो चार्टर में शान्तिपूर्वक उपायों (अनुच्छेद 32 से 38) तथा बाध्यकारी उपायों (अनुच्छेद 39 से 51) द्वारा किया जाते है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 सदस्य राष्ट्र हैं। सुरक्षा परिषद् के 05 स्थाई एवं 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद् अपने निर्णयों को स्थाई सदस्यों के मत सहित बहुमत के आधार पर करती है। लेकिन वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे महाशक्तियों के अपने स्वार्थी हितों के कारण इतने जटिल हो गये है कि 07 दशक पूर्व की संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था इनका समाधान करने में नाकाम सिद्ध हो रही है। इन महाशक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली को लगातार वीटो के प्रयोग से अपंग बना दिया है। सुरक्षा परिषद् का ढ़ांचा बदलते अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश के अनुरूप नहीं है और न ही यह किसी तरह के क्षेत्रीय समानता का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए इसमें अतिशीघ्र सुधार की आवश्यकता है।

भारत विश्व में शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए सदा ही प्रयासरत रहा है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से ही भारत सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता की माँग कर रहा है। जिससे वह संघर्षों के निपटारे में अपना योगदान दे सके। लेकिन स्थाई सदस्य बनने के रास्ते में कई कठिनाइयाँ है। इन कठिनाइयों का समाधान करके योग्य देशों को इसका सदस्य बनाना चाहिए। इस संबंध में 31 जुलाई, 2015 को महासभा के तत्कालिक अध्यक्ष सैम कुटसा ने सभी सदस्य देशों को पत्र लिखकर सुरक्षा परिषद् में सुधार के लिए सुझाव मांगे जिसके फलस्वरूप महासभा ने 14 सितम्बर, 2015 को फ्रेमवर्क डाक्यूमेंट टेक्स्ट पर वार्ता प्रस्ताव को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया।[1]

सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता

सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय सुरक्षा परिषद के 11 सदस्य राष्ट्र थे जिसमें 05 स्थाई और 06 अस्थाई। कुछ समय पश्चात सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणाली को वैश्विक परिस्थितियों अनुरूप बनाने के लिए इसमें आवश्यक सुधार किया गया। सबसे पहले 1963 में इसके अस्थाई सदस्यों को संख्या 06 से बढ़ा कर 10 कर दी गई। इसके बाद स्थाई सदस्यों की सीटों को 1971 में चीनी गणराज्य के स्थान पर लोकतान्त्रिक गणराज्य चीन तथा 1991 में सोवियत संघ के स्थान पर रूसी गणराज्य को दे दी गई। सुरक्षा परिषद में इन परिवर्तनों को संयुक्त राष्ट्र के स्थाई सदस्यों सहित दो–तिहाई सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उभरते हुए देशों द्वारा स्थाई सदस्यता के लिए आवाज उठायी गई जिसके बाद महासभा द्वारा भी कई प्रस्ताव को पारित किया जा चुका है। सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसके सदस्यों में से ही प्रति महीने अंग्रेजी के अक्षरों के कम में अध्यक्ष का चुनाव होता है। 21 वीं सदी में संघर्षों के ज्यादा जटिल होने की वजह से यह अपना कार्य व्यवस्थित ढ़ंग से करने में असमर्थ है। इसलिए विश्व के कोने–कोने से इसमें सुधार की माँग उठ रही है। सुरक्षा

परिषद में सुधार की आवश्यकता के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं:–

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद की भौगोलिक एवं सैन्य शक्ति के आधार पर थी लेकिन वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश बिलकुल बदल गया है। यदि इस संस्था में यथाशीघ्र सुधार न किया गया तो यह अपनी प्रासंगिकता को खो देगा।
- अक्टूबर, 1945 को इसकी स्थापना के समय कुल 51 सदस्यों में से सुरक्षा परिषद के 05 स्थाई और 06 अस्थाई सदस्य थे। वर्ष 1963 में जब संयुक्त राष्ट्र के 113 सदस्य देश थे तब सुरक्षा परिषद में पहली बार 04 अस्थाई सदस्यों को ओर शामिल किया गया। लेकिन वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई है लेकिन अभी तक सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या नहीं बढाई गई है।
- सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता और वीटो शक्ति की व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों के लिए थी। वर्तमान समय में आर्थिक शक्ति के दृष्टिकोण से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि भारत से पीछे है। वहीं सैन्य शक्ति के दृष्टिकोण से भी भारत ब्रिटेन और फ्रांस से मजबूत स्थिति में है लेकिन फिर भी ये देश स्थाई सदस्य बने हुए हैं।
- सुरक्षा परिषद् किसी भी तरह क्षेत्रीय समानता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। सुरक्षा परिषद् के 05 स्थाई सदस्यों में से 04 पश्चिमी राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और शेष विश्व में केवल चीन को ही स्थान प्राप्त है। विश्व में सबसे अधिक विकासशील राष्ट्रों है उनके उचित प्रतिनिधित्व के बिना यह संगठन अधूरा है।
- संयुक्त राष्ट के 193 सदस्य देशों में सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य है। इसका मतलब यह हुआ कि सुरक्षा परिषद के सदस्य इस वैश्विक संगठन में मात्र 7.77 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते है इतनी कम भागीदारी से विश्व में शान्ति और सुरक्षा बनाए रखना असंभव है।
- सुरक्षा परिषद के 05 स्थाई सदस्यों (ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन) को वीटो का अधिकार प्राप्त है। ये वीटो धारक कुल सदस्यों का मात्र 2.59 प्रतिशत हैं। लेकिन विगत वर्षों में इन देशों ने वीटो को अपने राष्ट्र हित पूर्ति का साधन बनाया हुआ है। इस कारण सुरक्षा परिषद महाशक्तियों की राजनीति का अखाड़ा बन गया है और जिस पर ये अपना एकाधिकार समझते हैं।
- शान्ति रक्षा अभियानों में शान्ति रक्षक भेजकर विश्व शान्ति एवं सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद मौजूदा सदस्यों द्वारा उन देशों के पक्ष को नजरंदाज कर दिया जाता है। इन देशों को अभियानों के संबंध में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। जो कि गलत है। भारत इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।
- सुरक्षा परिषद का 50 प्रतिशत से अधिक कार्य अकेले अफ्रीकी देशों से संबंधित है। लेकिन अफ्रीकी महाद्वीप का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य नहीं है जो अपने साथी देश के हक में आवाज उठा सके।
- सुरक्षा परिषद की संरचना 07 दशक पहले की शक्ति संतुलन की व्यवस्था पर बल देती है। संयुक्त राष्ट्र की तार्किक कार्य–प्रणाली को बनाए रखने के लिए इस वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है जिससे नए उभरते देश भी इसके कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा सके।
- यूरोपीय महाद्वीप के देशों की जनसंख्या विश्व में 09. 75 प्रतिशत है जबकि इस महाद्वीप से 03 देशों को स्थाई सदस्यता मिली हुई है। जबकि अन्य स्थाई सदस्यों में चीन की जनसंख्या 18.50 प्रतिशत और संयुक्त राज्य अमेरिका की 4.75 प्रतिशत है। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वापों से भी उचित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।

भारत के दावे के आधार

दुनिया के किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् में स्थाई सदस्यता को हासिल करना कठिन कार्य है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश सुरक्षा परिषद् की स्थाई सदस्यता को लेकर तरह–तरह के दावे करते हैं। हालांकि कुछ देशों ने अपने दावे को मजबूत करने के लिए सामूहिक रूप से कई संगठनों की स्थापना भी की हैं। सुरक्षा परिषद् की स्थाई सदस्यता के दावेदारों में भारत का भी प्रमुख स्थान है। सितम्बर, 2005 में संयुक्त राष्ट्र की 60 वीं सालगिराह पर सुरक्षा परिषद् में सुधार के लिए कुछ योग्यताओं का निर्धारण महासभा द्वारा किया गया था। जिसमें लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों के प्रति वचनबद्धता, अर्थव्यवस्था का आकार, जनसंख्या का आकार, सैन्य क्षमता, संयुक्त राष्ट्र को आर्थिक सहायता, संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा अभियानों में योगदान, परमाणु क्षमता का स्वच्छ इतिहास आदि हैं।[2] स्थाई सदस्यता की इन सभी निर्धारित योग्यताओं के संदर्भ में भारत के दावे की मजबूती निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर हैं:–

- भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक राष्ट्र रहा है। भारत ने 01 जनवरी, 1942 के संयुक्त राष्ट्र घोषणा–पत्र और 24 अक्टूबर, 1945 को लागू इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किये है और यह निरन्तर इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रयासरत रहा है।

- भारत विश्व में शान्ति रक्षा अभियानों के लिए योगदान करने वाले अग्रणी देशों में रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित 71 अभियानों में से 49 में सक्रिय योगदान किया है।
- शान्ति रक्षा अभियानों में अब तक लगभग 3892 शान्ति रक्षक शहीद हुए हैं। इनमें 168 भारतीय शान्ति रक्षकों ने अपनी शहादत दी है जो विश्व में अन्य देशों से सबसे अधिक है।
- विश्व के कई महाद्वीपों में सक्रिय 15 शान्ति रक्षा अभियानों में से 09 अभियानों में भारत के
- भारत में चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनसंख्या वर्तमान में लगभग 130 अरब के पास है जो विश्व की कुल जनसंख्या के 17 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है।
- भारत विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र वाला राष्ट्र है। यहाँ स्वतंत्र एवं पक्षपात रहित चुनाव कराये जाते है। मई, 2019 के लोक सभा चुनाव में भारत में विश्व में सबसे ज्यादा वोट डाले गये।
- भारत विश्व की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था चौथे नम्बर पर आती है।
- भारत की सैन्य क्षमता विश्व में अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद चौथे नम्बर पर आती है। भारत आने वाले समय में संघर्षों के निपटारे के लिए संयुक्त राष्ट्र को एक सीमा से अधिक सैन्य सहायता प्रदान करने की क्षमता रखता है।
- भारत धरती पर से परमाणु हथियारों को समाप्त करने का शुरू से ही पक्ष में रहा है। भारत का परमाणु हथियारों के संबंध में एक जिम्मेदार राष्ट्र रहा है। भारत का परमाणु कार्यक्रम शान्ति पूर्ण कार्य के लिए तथा पहले प्रयोग नहीं करने की नीति पर रहा है।
- सैमयूल पी0 हटिंगटन ने विश्व में मेसोपोटामिया, माया, मिस्त्र, सुमेरियन, चीन, हडप्पा आदि 08 प्राचीन सभ्यताओं का उल्लेख किया है। इनमें एक भारतीय हडप्पा सभ्यता भी शामिल है। लेकिन आज के दौर में इस सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाले देश को सुरक्षा परिषद में उचित स्थान नहीं मिला है।
- संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्था में धर्म के आधार पर भी भारत के दावा मजबूत होता है। भारत में विश्व के सबसे अधिक हिन्दू और दूसरे नम्बर पर मुस्लिम समुदाय रहता है। इसके अलावा भारत हिन्दू, बुद्ध, जैन और सिख धर्म का जन्म स्थान रहा है।
- भारत विश्व में ऐसा इकलौता देश है जिससे संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों पाकिस्तान सहित ने वोट देकर सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य चुना था। यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।
- सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता का समर्थन प्रमुख स्थाई सदस्यों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन व फ्रांस तथा प्रमुख संगठनों यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, आशियान, कैरीकॉम आदि के द्वारा भी किया गया है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से लेकर अब तक सात दशकों में 07 बार यानी 14 वर्षों तक सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य रहा है। यह भी सुरक्षा परिषद में भारत की भूमिका के तार्किक विस्तार का पक्ष बनता है।
- जून, 2019 में भारत की आगामी अस्थाई सदस्यता 2021–22 के लिए एशिया–प्रशान्त समूह के सभी 55 देशों पाकिस्तान एवं चीन सहित सामूहिक रूप से समर्थन किया है। इस क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत के सामने अफगानिस्तान था उसने अपनी मित्रता के मद्देनजर स्वयं चुनाव न लड़ते हुए भारत का समर्थन किया।
- भारत विश्व के जी0–77 में 133 विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व भी करता है। क्योंकि सुरक्षा परिषद में इन विकासशील देशों के अधिकांश हकों की आवाज उठाने के लिए भी भारत को स्थाई सदस्य का अवसर मिलना चाहिए।
- वर्तमान में जी–04 में शामिल देशों में भारत और जापान ही अंतरिक्ष में अपने स्वयं के उपग्रह भेजने में सक्षम है। अन्तरिक्ष क्षेत्र में अनुसंधान एवं इसके शान्ति पूर्ण प्रयोग के लिए भी भारत को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए।

भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ

भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र एवं उसके सहायक अंगों की प्रजातांत्रिक कार्य प्रणाली का समर्थन और इसकी महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संस्था सुरक्षा परिषद में आवश्यक सुधारों पर जोर देता रहा है। भारत 1992 से ही सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता की माँग करता आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसी समस्या एवं चुनौतियाँ है, जो भारत के सुरक्षा परिषद् में स्थाई सदस्यता के रास्ते में कठिनाई पैदा करती हैं। भारत की स्थाई सदस्यता की प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं :–

1. **संयुक्त राष्ट्र को कम आर्थिक देय–** भारत ने संयुक्त राष्ट्र शान्ति रक्षा अभियानों में एक बड़े पैमाने पर अपनी भौतिक उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन बात जब आर्थिक सहयोग की आती है तो पी–5 भारत से काफी आगे नजर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बजट में अमेरिका का योगदान 500 मिलियन डॉलर (20 प्रतिशत), चीन का 265 मिलियन डॉलर (12.5 प्रतिशत), जापान का 200 मिलियन डॉलर (10 प्रतिशत), जर्मनी का 170 मिलियन डॉलर (8 प्रतिशत), ब्रिटेन का 140 मिलियन डॉलर (6.6 प्रतिशत), फ्रांस का 106 मिलियन डॉलर (5 प्रतिशत) और भारत का 11 मिलियन डॉलर (0.5 प्रतिशत) है।[3] इसके अलावा अमेरिका ने शान्ति रक्षा अभियानों के लिए 18000 करोड़ तथा भारत का यूएन में कुल योगदान 73 करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधियों ने कई बार भारत सरकारों को कम से कम 20 मिलियन डॉलर देने के लिए कहा गया है किन्तु यह नहीं बढ़ाया गया है। इसके साथ ही भारत शान्ति रक्षा अभियानों में योगदान के एवेज में 600 करोड़ रूपये सालाना मिलते है, जिसमें से 110 मिलियन डॉलर की धनराशि संयुक्त राष्ट्र में बकाया है।[4] आर्थिक सहयोग में कमी के कारण भारत गरीबतम राष्ट्रों की श्रेणी में स्थान रखता है, जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में भारत का दावा कमजोर करता है।
2. **वैश्विक समर्थन हासिल करना–** सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता पाने के लिए भारत को वैश्विक स्तर पर वीटो राष्ट्रों सहित महासभा के अधिकतर सदस्यों का समर्थन हासिल करना आवश्यक हैं। भारत 2011–12 में 19 सालों के बाद 7 वीं बार सुरक्षा परिषद् का अस्थाई सदस्य बना। 12 अक्टूबर, 2010 को महासभा के मतदान में शामिल 190 देशों में से 187 देशों के वोट भारत को मिले, जिसमें भारत के कट्टर विरोधी पाकिस्तान और चीन के वोट भी इसके समर्थ में पड़े। इसी मतदान में जर्मनी को 190 देशों में से 128 देशों के वोट प्राप्त हुए।[5] लेकिन बात जब भारत की स्थाई सदस्यता की आती है, तो ये देश अपने–अपने स्वार्थी हितों के लिए भारत के दावों को ही नकार देते है, और विश्व स्तर पर भारत की स्थाई सदस्यता के विरूद्ध जनमत तैयार करने में लगे रहते हैं। हालांकि जब से सुरक्षा परिषद् की स्थापना हुई है, तब से 130 देशों को ही अस्थाई सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हैं।[6]
3. **न्यूनतम जी0डी0पी0–** आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ लगातार बढ़ते कदम के बावजूद भारत को अपने प्रतिद्वंद्वी जापान, जर्मनी और ब्राजील से पिछड़ने की वजह भी हैं। विश्व बैंक की 2014 की रिर्पोट के अनुसार, सुरक्षा परिषद् के स्थाई सदस्यों में अमेरिका की जी0डी0पी0 17.4 ट्रीलियन डॉलर, चीन की 10.3 ट्रीलियन डॉलर, ब्रिटेन की 2.9 ट्रीलियन डॉलर, फ्रांस की 2.8 ट्रीलियन डॉलर और रूस की 1.8 ट्रीलियन डॉलर हैं। जबकि भारत की जी0डी0पी0 2 ट्रीलियन डॉलर है।[7] अगर न्यूनतम सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) बात की जाए तो भारत का दुनिया में नौवां है, जबकि जापान तीसरे (एशिया में दूसरे), जर्मनी चौथे (यूरोप में पहले) और ब्राजील सातवें स्थान पर है।[8] जहाँ तक भारत में जी0डी0पी0 में प्रति व्यक्ति आय की बात है, भारत इस सूची में कहीं नहीं है, जो सुरक्षा परिषद् की स्थाई सदस्यता के लिए इसके दावे को कमजोर करता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश की 2014 की रिपोट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 5855 डॉलर के साथ विश्व स्तर पर 125 वाँ स्थान पर है जबकि दूसरी तरफ जापान 18 वें, जर्मनी 28 वें और ब्राजील 74 वें उच्च रैंक के साथ मजबूत स्थिति में है।[9]
4. **महाशक्तियों का भारत के प्रति संदिग्ध रवैया–** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार की मांग वाले दस्तावेज को चर्चा के लिए मंजूरी मिलने से फिलहाल भारत को स्थाई सदस्यता के रूप में जगह मिलने की पहली कडी के रूप में देखा जा रहा है। प्रचार भी इसी तरह से किया गया है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय समीकरणों एवं वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत की राह इतनी भी आसान नहीं है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्यों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन (पी0–5) ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वीटो शक्ति प्राप्त इन देशों ने अन्दरूनी रूप से दोहरी चाल चली है। यह अलग बात है कि सुरक्षा परिषद् में विस्तार की वर्षों पुरानी मांग को सदस्य देशों ने बहुमत के आधार पर पारित करा लिया है। लेकिन इस चर्चा के बारे में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, साथ ही अमेरिका, रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र में कोई फ्रेमवर्क डाक्यूमेंट टेक्स्ट भी नहीं रखा है। दूसरे शब्दों में कहे तो इन देशों ने सुरक्षा परिषद के विस्तार के मुद्दे पर भारत समेत किसी भी देश का बतौर स्थाई सदस्य समर्थन नहीं किया है। साथ ही पी0–5 ने अपने पोजीशन पेपर में भी किसी देश का उल्लेख नहीं किया है। सुरक्षा परिषद् में सुधार के लिए महासभा का प्रस्ताव कहता है कि सुरक्षा परिषद् में प्रतिनिधित्व समतामूलक होना चाहिए। एशिया आज विश्व का सबसे अधिक आबादी और आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र है, पर यहां से सिर्फ चीन ही इसका स्थाई सदस्य है। इसीलिए भारत का दावा तो मजबूत बनता है।
5. **वीटो पावर–** इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुरक्षा परिषद् की स्थाई सदस्यता की भारत की दावेदारी मजबूत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वीटो पावर रखने वाले बड़े देश क्या भारत को अपनी कतार

RRIJM 2015, All Rights Reserved

में देखना चाहेंगे? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन अपनी वीटो शक्ति के साथ क्या एक नए शक्ति केन्द्र के रूप में भारत को स्वीकार कर लेंगे? रास्ता आसान बिलकुल नजर नहीं दिखाई आता। इसमें मुख्य रोड़ा चीन की तरफ से है हालांकि अन्य वीटो पावर देशों में ब्रिटेन व फ्रांस खुले तौर पर और अमेरिका व रूस आंशिक रूप से भारत की स्थाई सदस्यता का समर्थन करते है। स्थाई सदस्यता के मसले पर द्विपक्षीय वार्ताओं में तो भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है, लेकिन बहुपक्षीय स्तर पर सुरक्षा परिषद् के विस्तार का विरोध करता है, जो कि भारत के नजरिए से अजीब बात है। मई, 2005 में अमेरिका ने कहा कि जी–4 को सुरक्षा परिषद् में स्थाई सदस्यता और वीटो का अधिकार देने से सुरक्षा परिषद् का संतुलन बिगड़ जाएगा।[10] अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2010 की भारत यात्रा के दौरान कहा, We salute India's long history as a leading contributor to United Nations peacekeeping missions. And we welcome India as it prepares to take its seat on the United Nations Security Council.[11] अमेरिका विभिन्न अर्न्तराष्ट्रीय मंचों से भारत की स्थाई सदस्यता का समर्थन करता रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क डाक्यूमेंट टेक्स्ट वार्ताओं को सहयोग नहीं करता है। चीन भी भारत के लिए कंडीशनल स्थाई सदस्यता की पैरवी करता है। कुछ देश वीटो बिना भारत की स्थाई सदस्यता की वकालत करते है, जो भारत को कतई मंजूर नहीं।

6. **सुरक्षा परिषद् में सामूहिक प्रवेश**– भारत द्वारा सुरक्षा परिषद् में स्थाई सदस्यता के लिए सामूहिक रूप से प्रवेश के लिए प्रयासरत है। इसके लिए भारत कई संगठनों जैसे जी0–4, जी0–77, इब्सा आदि का सदस्य बना है। जबकि चीन सरकार संचालित शंघाई इंस्टीट्यूटस फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के रिसर्च फेलो लियू जोंगई ने 2016 में ग्लोबल टाईम्स में लिखे अपने लेख कहा, "संयुक्त राष्ट्र की 70 वीं सालगिरह है और सुरक्षा परिषद् में सुधारों की मांग जोर पकड़ रही है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थाई सदस्यता की मांग के लिए जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ भारत ने सामूहिक प्रवेश के लिए गठबंधन करना एक बड़ी गलती है।"[12] लियू जोंगई यह भी कहते है कि भारतीय राजनेताओं व शिक्षाविदों के साथ ही भारतीय मीडिया मानता है कि स्थाई सदस्यता पाने में चीनी वीटो सबसे बड़ी चुनौती है। कहने की जरूरत नहीं कि स्थाई सदस्यता के लिए जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ मिलकर भारत के अन्तर्राष्ट्रीय अभियान चलाने से चीन बिलकुल खुश नहीं है। लियू ने साफ–साफ कहा है कि चीन और दक्षिण कोरिया जापान की उम्मीदवारी का निश्चित तौर पर कड़ा विरोध करेंगे। चीन लम्बे समय से यह कहता आ रहा है कि भारत का जापान के साथ हाथ मिलाना एक गलती है जिसकी दावेदारी का चीन ऐतिहासिक कारणों से विरोध करता है। यदि भारत जापान का साथ व समर्थन छोड़ता है, तो चीन भी वैश्विक स्तर पर भारत की बड़ी भूमिका का समर्थन करने के लिए तैयार है।

7. **सुरक्षा परिषद् में सुधार का विरोध करने वाले संगठन**– अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे संगठन है, जो सुरक्षा परिषद् के स्थाई सदस्यों की संख्या में बढ़ोत्तरी का विरोध करते रहे है। इन संगठनों में यू0एफ0सी0(कॉफी कल्ब), एस0–5, ए0एस0टी0 एवं पी0–5 के कुछ वीटो धारक सदस्य भी शामिल हैं। इन संगठनों का मानना है कि सुरक्षा परिषद् के स्थाई सदस्यों को यथावत् रखा जाए और अस्थाई सदस्यों की संख्या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर बढ़ाया जाना चाहिए। कॉफी कल्ब में पाकिस्तान (भारत की सदस्यता का विराधी), इटली (जर्मनी का विरोधी), मैक्सिको व अर्जेन्टीना (ब्राजील के विरोधी), दक्षिण कोरिया (जापान विरोधी), मिस्त्र (अफ्रीका को दी जाने वाली दो सीटों में से एक का इच्छुक) और इसी तरह के कई अन्य देश हैं।[13] जबकि एस0–5, ए0एस0टी0 जैसे संगठनों का मानना है कि स्थाई सदस्य की संख्या में बढ़ोत्तरी करने से सुरक्षा परिषद् की कार्यवाही ओर जटिल हो जाएगी। क्योंकि सुरक्षा परिषद् के नये सदस्य वीटो का प्रयोग अपने मनमाने ढंग से करेंगे। इसलिए ये संगठन सुरक्षा परिषद् में सुधार का विरोध करते हैं।

8. **भारत में मानव विकास सूचकांक का निम्नतम स्तर**– भारत आर्थिक रूप से एक विकासशील राष्ट्र है। इसलिए यह अन्य विकसित राष्ट्रों के मानव विकास सूचकांक की बराबरी नहीं कर सकता हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की मानव विकास सूचकांक रिर्पोट (2014) पर ध्यान दिया जाए, तो यहां भी भारत की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। जहां एक तरफ भारत 114 वें स्थान के साथ मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है, जबकि जापान 6 वें और जर्मनी 17 वें बहुत उच्च मानव विकास तथा ब्राजील 51 वें स्थान के साथ उच्च मानव विकास की श्रेणी में आता है।[14] इसी तरह पी–5 में शामिल चीन 187 देशों में से 0.687 के स्कॉर के साथ 101 वें स्थान पर तथा भारत 0.547 के स्कॉर के साथ 134 वें स्थान पर आता है।[15] विभिन्न देशों में शान्ति की स्थिति का आकलन करने वाली संस्था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एण्ड पीस (सिडनी) द्वारा जून, 2016 में जारी रिर्पोट में 163 देशों पर किए गये सर्वे में भारत को 141 वाँ स्थान तथा चीन

RRIJM 2015, All Rights Reserved

को 120 वाँ स्थान है।[16] वहीं यूएन इंस्टीट्यूट फॉर इंवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी द्वारा प्रकाशित विश्व जोखिम रिर्पोट, 2016 में 171 देशों में से भारत को 77 वाँ तथा चीन को 85 वाँ स्थान मिला।[17] अतः मानव विकास सूचकांक का निम्नतम स्तर भी भारत के दावे को कमजोर करता है।

9. **परमाणु संधियों पर हस्ताक्षर न करना–** सुरक्षा परिषद् का सदस्य बनने के लिए स्वच्छ परमाणु अप्रसार एवं परमाणु सन्धियों को सहयोग करना भी आवश्यक है। लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र की मुख्य परमाणु सन्धियों एन0पी0टी0(1968) और सी0टी0बी0टी0(1996) पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। भारत इन संधियों को भेदमूलक मानता हैं। भारत का मानना है कि ये परमाणु सन्धियाँ परमाणु हथियार सम्पन्न देशों से किसी भी प्रकार की सुरक्षा तथा वर्तमान में विकसित सामूहिक विनाश के हथियारों की समाप्ति के लिए कोई कारगर कदम नहीं हैं। और न ही परमाणु सम्पन्न राष्ट्र अपने परमाणु एकाधिकार को किसी भी तरह की चुनौती स्वीकार करने को तैयार है। भारत को पाकिस्तान व चीन के परमाणु हमले के खतरे के कारण आत्म–रक्षा के लिए परमाणु हथियारों को विकसित करना पड़ा। इन सम्भावित खतरों को देखते हुए भारत द्वारा परमाणु सन्धियों पर हस्ताक्षर करना आत्मघाती गोल करने जैसा है। लेकिन कुछ देश भारत के परमाणु कार्यक्रम को आक्रामक कार्यवाही या परमाणु हमले के तौर पर देखते है, जो भारत की स्थाई सदस्यता के रास्ते में बाधक है।

10. **संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की जटिल संशोधन प्रक्रिया–** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में किसी भी तरह का सुधार बिना चार्टर में संशोधन किए नहीं किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108 में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, जिसमें सामान्य प्रस्तावों के लिए साधारण बहुमत तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के मुद्दे, सदस्य का संघ में प्रवेश व निष्कासन, चार्टर में संशोधन आदि जैसे विषयों के लिए दो–तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।[18] सुरक्षा परिषद् में नये सदस्यों को प्रवेश करने के प्रस्ताव पर महासभा के 193 सदस्यों में से 128 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता हैं, तथा इस तरह के प्रस्ताव महासभा में पारित हो जाने के बाद वैश्विक स्तर पर दो–तिहाई देशों की सरकारों द्वारा अनुमोदन करना होता हैं।[19] आमतौर पर इन देशों द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करना एक संसदीय प्रक्रिया की तरह होता है। वर्तमान में अधिकतर देशों की सरकारें सुरक्षा परिषद् में सुधार के पक्ष नहीं हैं। सुरक्षा परिषद् में सुधार के लिए सबसे पहले इस प्रस्ताव को महासभा के दो–तिहाई बहुमत से पास करना होगा और सुरक्षा परिषद् के पांचों स्थायी सदस्यों का समर्थन हासिल करना बहुत जरूरी हैं। लेकिन फिर भी पी–5 में शामिल देशों में तो अनुमोदन प्रक्रिया ओर भी कठिन हैं। जैसाकि अमेरिका की सीनेट में इस तरह के प्रस्तावों का अनुमोदन करना कोई आसान कार्य नहीं है। इसलिए भारत सहित किसी भी सदस्य को स्थाई तौर पर शामिल होने में आने वाली कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थाई सदस्यता की राहें इतनी भी आसान नहीं है, जितनी की जान पड़ती है। भारत की वर्तमान सरकार द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थाई सदस्यता के लिए समर्थन जुटाने हेतु प्रयासरत् है। इसके साथ ही भारत के दावे को ओर अधिक मजबूती के साथ उठाने की आवश्यकता है। यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर इन गंभीर चुनौतियों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र को कारगर बनाने हेतु संशोधन नहीं किये गये तो उसकी वर्तमान साख के समक्ष विश्वसनीयता का संकट उत्पन्न हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों को इस पर गम्भीरता से विचार करने एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान के हित में आगे बढ़ने का सुअवसर है। यह तो अटल सत्य है कि परिवर्तन प्रकृति का सार्वभौमिक नियम है, जो समय के साथ घटित होता रहता है और रहेगा। जितनी जल्दी यह स्वीकार्य होगा मानवता के हित में एक कारगर कदम होगा।

सन्दर्भ सूची–

1–सिँह, रहीस (2015), अड़ंगे के बावजूद आगे बढ़ा भारत, राष्ट्रीय सहारा, देहरादून, 19 सितम्बर, 2015, पृष्ट सं0 8

2–सामान्य ज्ञान (2014), अमर उजाला प्रकाशन, नोएडा, पृष्ट सं0 315–318

3–Shukla, Rajeev, (2015) UNSC membership for Rs 73crore?,http:/www.deccanchronicle.com,18/09/15

4–ibid

5–रंजन, एन0 (2010) सुरक्षा परिषद् में सुधार का केन्द्र होगा भारतः अमेरिका, http://www.dw.com 28.10.2010

6–http://www.shouldwe.org/issues/should-india-be-a-member-of-the-un-security-council, 12 July, 2016

7– Will PM Modi succeed in getting India a permanent seat in the UN Security Council?, available at http://www.merinews.com, 08 October, 2015

8- http://khabar.ibnlive.com/blogs/sudhir/indiapermanentrepresentativeunitednations, 28/09/15

9- ibid

10–सिंह, ए0के0,(2014)आधुनिक स्त्रातेजिक विचारधारा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रकाश बुक डिपो, बरेली,(सप्तम संस्करण),पृष्ट 495

11–http://politics.stackexchange.com/questions/1511/indiaandunscpermanentseat

12–सुरक्षा परिषद् में सुधार एक जटिल प्रक्रिया, Dalit Christian Blog, ttp:// dalitchristian.com/blog/?p=320 22 September, 2015,

13– सिबल, कंवल, यूएन में भारत की स्थाई सदस्यता की राह में रोडें, http://www.bbc.com/hindi/india/2015/9

14–http://khabar.ibnlive.com/blogs/sudhir/indiapermanentrepresentativeunitednations, 28/09/15

15– What are the obstacles faced by India when becoming a permanent member of the UN Security Council? How can India tackle it?, https://www.quora.com, 13 March, 2013,

16–प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त, 2016, पृष्ट सं0 29

17–दैनिक जागरण, देहरादून, 27 अगस्त, 2016, पृष्ट सं 13

18–फड़िया, बी0एल0, (2011) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा, पृष्ट सं0 68

19–Tharoor, Shashi, (2011)Security Council Reform: Past, Present, and Future, *Ethics & International Affairs*, Volume 25.4 (Winter 2011) available at https://www.carnegiecouncil.org